तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर (राज) दीवानी दावा संख्या–34/2016 सी.आई.एस संख्या– 42/2016 कन्हैयालाल बनाम सुवा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.11.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04(2) सपठित धारा 151 जा.दी. का जबाव प्रस्तुत करना नही चाहते जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उन्हे श्री सुवा जी के स्वर्गवास के पश्चात पक्षकार बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही समाज के व एक ही स्थान के निवासी है। वादी को पूर्व से जानकारी है कि अकेले प्रतिवादी सुवा जी को सम्पूर्ण आराजी बेचने का कोई हक व अधिकार नही था क्योंकि इस विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का जन्म से ही प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा था। प्रार्थीगण को पक्षकार बनने के पश्चात स्वयं की ओर से जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया। वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य प्रतिावदी के स्तर पर है। हस्तगत वाद प्रार्थीगण के विरूद्व विधि अनुसार पोषणीय नही है जिसके लिए उन्हे जबाव प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अतिरिक्त जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2007 सुप्रिम कोर्ट पेज 3166 सुमती बाई वगैरह बनाम पारसा फाईनेन्स कंपनी प्रस्तुत किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर	

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज अदालत** **अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर (राज)** **दीवानी दावा संख्या–34/2016** **सी.आई.एस संख्या– 42/2016** **कन्हैयालाल बनाम सुवा वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

	केवल मात्र प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे–खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 02.07.2024 द्वारा प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया था। उसके पश्चात प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित आने पर इनके द्वारा कोई अतिरिक्त जबावदावा प्रस्तुत नही किया गया न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से उन्होने अतिरिक्त जबावदावा प्रस्तुत किये जाने की कोई अनुमति इस न्यायालय से चाही है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्षकार बनने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादी के गवाहन की साक्ष्य लेखबद्व की जा चुकी है। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी. डब्ल्यू 01 परमेश्वर की भी साक्ष्य लेखबद्व की जा चुकी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये जा चुके है। हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय के सबसे पुराने प्रकरणों में से एक है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना पत्र को देरी से प्रस्तुत करने का कोई न्यायसंगत कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण की कार्यवाहियों को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र 500/– रूपये कॉस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कॉस्ट राशि वादी को अदा की जावे। आगामी पेशी पर	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर (राज) दीवानी दावा संख्या–34/2016 सी.आई.एस संख्या– 42/2016 कन्हैयालाल बनाम सुवा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने समस्त साक्ष्य शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। आदेश सुनाया गया । पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण दिनांक **19.11.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर जिला न्यायाधीश सं.1,** **किशनगढ, अजमेर**	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर (राज) दीवानी दावा संख्या–34/2016 सी.आई.एस संख्या– 42/2016 कन्हैयालाल बनाम सुवा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये